राजस्व वाद संख्या:– 169/2021
औमप्रकाश बनाम राजू आदि
निर्णय दिनांक:– 08.11.2021.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 169/2021

औमप्रकाश पुत्र श्री बसेसरराम जाति खटीक निवासी सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. राजू पुत्र बसेसर जाति खटीक निवासी सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. रमेश पुत्र बसेसर जाति खटीक निवासी सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. रतनी पुत्री बसेसर जाति खटीक निवासी सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. भगवती पुत्री बसेसर जाति खटीक निवासी सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. दुर्गेश नन्दिनी पुत्री कोमलकंवर जाति राजपूत निवासी बिसाउ हाल निवासी बिसाउ हाउस चांदपोल जयपुर राजस्थान।
6. संजय सिंह पुत्र चक्रपाणी सिंह जाति राजपूत निवासी बिसाउ हाल निवासी बिसाउ हाउस चांदपोल जयपुर राजस्थान।
7. प्रणसिंह पुत्र चक्रपाणी सिंह जाति राजपूत निवासी बिसाउ हाल निवासी बिसाउ हाउस चांदपोल जयपुर राजस्थान।
8. प्रियदर्शनी पुत्री आजाद भांभुसिंह जाति राजपूत निवासी बिसाउ हाल निवासी बिसाउ हाउस चांदपोल जयपुर राजस्थान।
9. आनन्द कुमारी पत्नि आजाद शंभुसिंह जाति राजपूत निवासी बिसाउ हाल निवासी बिसाउ हाउस चांदपोल जयपुर राजस्थान।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या:- 169/2021
ओमप्रकाश बनाम राजू आदि
निर्णय दिनांक:- 08.11.2021.

दावा बाबत घोषणार्थ, स्थायी निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक – 08.11.2021

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) कि ग्राम सूरजगढ़ की गत कृषि भूमि ख0न0 385 रकबा 3 बीघा 14 विश्वा पुख्ता हाल खसरा नम्बर 1195 रकबा 1.23 हैक्टर में से रकबा 0.938 हैक्टर कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी अनुरूप रवेन्यू रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रतिवादी नम्बर 10 को आदेशित फरमाया जावे।

(ख) कि ग्राम सूरजगढ़ की गत कृषि भूमि ख0न0 385 रकबा 3 बीघा 14 विश्वा पुख्ता हाल खसरा नम्बर 1195 रकबा 1.23 हैक्टर में से रकबा 0.938 हैक्टर कृषि भूमि को प्रतिवादीगण नम्बर 5 लगायत 9 किसी भी प्रकार से रहन व बय नहीं करें तथा विवादित कृषि भूमि के कब्जा काश्त में वादी को कोई दखल नहीं देवें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी नम्बर 5 लगायत 9 को पाबन्द फरमाया जावे।

(ग) कि अन्य सिद्वी जो बहक वादी हो जो भूलवंश चाहे जाने से रह गयी हो वह भी वादी को धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवायी जावे।

(घ) कि हर्जा खर्चा वाद पत्र वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामील जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 01 लगायत 04 की और से श्री हजारीलाल सुनियॉ एडवोकेट ने हिदायत पैरवी पेश कि तथा प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 की और से श्री अवधेश कुमार एडवोकेट से वकालतनाम पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 की और से किसी ने भी जवाब पेश नही किया अतः सभी के खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी जाकर जवाब बन्द्र किया गया। वादी वकील ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल ।मेलान क्षेत्रफल, लगान की रसीदात कुल संख्या 07, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी सम्वत 2028–31 से 2066–69 तक, गिरदावरी सम्वत 2009–12 से 2017–2020 तक जिस पर प्रर्दश संख्या 1 लगायत 21 अंकित किये गये।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं वाद वकील की एक पक्षीये बहस सुनी गई चूंकि वाद में आदेश सुनाया जाना थां परन्तु दिनांक 18.02.2020 को वादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर न्यायालय द्वारा प्रकरण को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया गया। वादी की और से श्री हवासिंह चौहान एड0 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 पेश किया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है चूंकि मूल दावा पूर्व में वास्ते आदेश नियत था। वकील वादी ने पत्रावली में पुनः बहस अन्तिम सुनने के लिए निवेदन किया तथा न्यायिक दृष्टान्त AIR 1988 उड़ीसा 44 Civil P.C. (5 of 1908), O.9

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

R 4 – dismissed in default- Application for restoration under O.9 R 4 – Notice to defendant not mandatory. (1973) 39 Cut LT 264, Dissented (1973) 2 Cut WR 1174, Rel. on. तथा AIR 1987 दिल्ली 74 Civil P.C. (5 of 1908), O.9 R. 4 – Suit dismissed for non- appearance of plaintiff in absence of defendant- Application by plaintiff for restoration- court need not issue notice of application to defendant पेश किये। वकील वादी ने समस्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही होने तथा राजस्व रिकार्ड सम्वत 2009 से 2020 तक लगातार वादी के पूर्वज श्योका खटीक के नाम कब्जा काश्त दर्ज होने तथा लगान की रसीदो के आधार पर वाद वादी दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया तथा वकील वादी ने अपने दावे के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त The board of revenue for rajasthan ajmer Appeal Decree/TA/174/96(153/2000) Jalore Mst. Hare Kanwar versus State of rajasthan 2002-RBJ-4, Narain Ram V/S Gangu RRD 1978-27 पेश किये। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 385 रकबा 3 बीघा 14 विश्वा पुख्ता हाल खसरा नम्बर 1195 रकबा 1.23 हैक्टर में से वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 के कब्जा काश्त की भूमि रकबा 0.938 हैक्टर कृषि भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 05 लगायत 09 का नाम हजफ किया जाता है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या:– 169/2021
ओमप्रकाश बनाम राजू आदि
निर्णय दिनांक:– 08.11.2021.

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 169/2019

निर्णय दिनांक :–**08-11-2021**

ओमप्रकाश बनाम राजू आदि

दावा बाबत घोषणार्थ, स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री हवासिंह चौहान एडवोकेट** तथा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **08.11.2021** को **दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 385 रकबा 3 बीघा 14 विश्वा पुख्ता हाल खसरा नम्बर 1195 रकबा 1.23 हैक्टर में से वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 के कब्जा काश्त की भूमि रकबा 0.938 हैक्टर कृषि भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 05 लगायत 09 का नाम हजफ किया जाता है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **08.11.2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
सूरजगढ़

Scanned with CamScanner